

कार्यालय कलेक्टर जिला - कोरबा (छ.ग.) एवं पदेन उप सचिव,
छ.ग.शासन राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

-: प्रारंभिक अधिसूचना :-

क./ 7901 / भू-अर्जन / 201910050400012 अ 82 / 2023

कोरबा, दिनांक 02/06/23

चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे अनुसूची के कॉलम (1) से (5) में दर्शित भूमि की अनुसूची के कॉलम (7) में दर्शित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है, अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन तथा पुनर्निर्माण में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है, कि राज्य शासन एतद् द्वारा अनुसूची के कॉलम (6) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 के अंतर्गत दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :-

अनुसूची

जिला	तहसील	भूमि का प्रकार			धारा 12 द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण
		ग्राम / प.ह.नं.	ख.नं.	क्षेत्रफल (हे.में)		
1	2	3	4	5	6	7
कोरबा	बरपाली	तुमान 20	1023/2	0.077	कार्यपालन अभियंता लोक निर्माण विभाग संभाग कोरबा	बरपाली-तुमान मार्ग के एकरेखण अंतर्गत अर्जित भूमि
			1029/2	0.016		
			1029/1क	0.012		
			1029/2ख	0.040		
			1036	0.041		
			1029/3	0.105		
			1034	0.069		
			1035/1	0.133		
			1035/2	0.121		
			1064	0.008		
			1065	0.049		
			1066	0.049		
			1067/2	0.065		
			1061	0.065		
			1140/1	0.049		
			1140/2	0.125		
			1138/2	0.137		
			1139	0.069		
			1147/3	0.049		
			1149	0.036		
			1150	0.020		
			1151	0.020		
			1130/1	0.016		
			1131/1	0.020		
			1154/1	0.016		
			1154/2	0.016		
			1154/3	0.020		
			1154/4	0.016		
			1154/5	0.033		
			1129/1	0.016		
			1129/2	0.028		
			1155/1	0.024		
1155/2	0.049					
1155/3	0.049					
1155/4	0.105					
1156/2	0.016					
1156/1	0.012					
1156/4	0.012					
1156/3	0.012					
1156/5	0.012					
1156/6	0.069					
1158/3	0.021					
1158/4	0.219					
1158/1						

अनुविभागीय अधिकारी (रा.)
एवं भू अर्जन अधिकारी
कोरबा, जिला-कोरबा

		1153	0.033		
	शोम	41	2.117		

2. यह भी सूचित किया जाता है कि उपरोक्त भूमि में से कोई भी हितयुक्त व्यक्ति इस अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि के 60 दिवस के भीतर अर्जित की जाने वाली भूमि के क्षेत्रफल एवं उपयुक्तता, लोक प्रयोजन के औचित्य तथा सामाजिक समाघात निर्धारण के निष्कर्षों के बारे में अपना दावा/आपत्ति लिखित में कलेक्टर को स्वयं अथवा अपने द्वारा अधिकृत व्यक्ति के माध्यम से अधिनियम, 2013 की धारा 15 की उपधारा (1) के अंतर्गत प्रस्तुत कर सकेगा।
3. भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) कोरवा के कार्यालय में किया जा सकता है।
4. प्रस्तावित भू-अर्जन से किसी भी प्रभावित परिवार का विस्थापन निहित नहीं है।
5. प्रस्तावित प्रयोजन के भू-अर्जन के लिए कराये गये सामाजिक समाघात अध्ययन के अनुसार भूमि का अर्जन अंतिम विकल्प के रूप में किया जाना प्रस्तावित है तथा भूमि अर्जन से सामाजिक समाघात की तुलना में सामाजिक लाभ अधिक होना पाया गया है।
6. प्रस्तावित भू-अर्जन के लिए अधिनियम 2013 की धारा 43 के तहत अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) कोरवा जिला कोरवा के पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन के प्रशासक नियुक्त किया गया है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार

(संजीव कुमार झा)


कलेक्टर

जिला कोरवा

एवं पदेन उप सचिव

छ.ग.शासन

राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग


 अनुविभागीय अधिकारी (रा.)
 एवं भू अर्जन अधिकारी
 कोरवा, जिला-कोरवा